

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन-अधिकारी : श्री के. आर. धारव, B.A.S.
67/2018
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956
उत्पन्न

प्रकरण संख्या

नेवडी 0 करा काट करिय

दिनांक - 21/6/18
बनाम

- प्रार्थी / प्रार्थीगण

श्री सुशो कोलू पात्रा करिय

- विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :-

दिनांक 21/6/18
श्री सी. पी. कर्नाटक
श्री कर्नाटक - उपस्थित

दिनांक 25/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम तहसील शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 211836

10672 का 10/60 ई 72762 का 0-31 ई 72772 का 0.40 ई
279 का 0/10 ई कुल किता 4 रकबा 1.45 हैक्टर का
प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के
विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के
सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगड़ी
कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।
विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर
बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल
जमावन्दी ग्राम 211836 संवत् 2077 से 2078 तक का अवलोकन किया
उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी
आराजीयात की पत्थरगड़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर मौजा 211836 में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त
खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 4 रकबा 1.45 हैक्टर की
पुरख्ता पत्थरगड़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई
प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगड़ी किये
जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगड़ी
हेतु कमिश्नर फीस 2000 रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से
तहसीलदार शाहपुरा/ मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगड़ी मौका पर्चा पेश करे।
पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 25/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि-तहसीलदार, शाहपुरा/ पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगड़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(के. आर. धारव)
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के. आर. धारव)
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)